

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम  
राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर-05, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

दिनांक 30/9/20

क्रमांक 6073


### संशोधित कार्यालय आदेश

COVID-19 के मध्येनजर मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना सेक्टर-26, जोन-266, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में मध्यम आय वर्ग के (B+S+12) के प्लेटस हेतु आरक्षण पत्र जारी किये गये थे। आरक्षण पत्र की प्रथम किस्त राशि जो दिनांक 29.07.2020 तक जमा करवाई जानी थी वह बिना ब्याज दिनांक 30.09.2020 तक वेबसाइट [WWW.Urban.Rajasthan.Gov.in/RHB](http://WWW.Urban.Rajasthan.Gov.in/RHB) पर ऑनलाईन चालान प्रिंट कर एच.डी.एफ.सी. बैंक खाता संख्या 50100329901167 आई.एफ.एस.सी. कोड HDFC0000644 में किसी भी एच.डी.एफ.सी. बैंक से या उक्त खाते में अपने बैंक से आरटीजीएस या नेफ्ट के द्वारा जमा करवाने बाबत दिनांक 20.07.2020 को जमा करवाने बाबत सूचित किया गया था। उक्त आदेश में खाता संख्या त्रुटीवश गलत अंकित कर दिया गया था। अत आबंटियों को निर्देशित किया जाता है कि सही खाता संख्या 50100329847496 आई.एफ.एस.सी. कोड HDFC0000644, आरक्षण पत्र में मांग राशि जमा करवा सकते हैं।

भवदीय


(के.सी. ढाका)

उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम  
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



प्रतिलिपी सूचनार्थ :-

- 1- Sh. Anuj Mathur, Joint Director(SA), Rajasthan Housing Board Jaipur
2. कार्यालय प्रति।
3. मास्टर फाईल।

  
उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम  
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

